

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान

इन्द्राज वगैरह बनाम् राजु वगैरह

प्रकरण अन्तर्गत धारा 53 88 188 आर.टी.एक्ट

प्रकरण सं.-04 सन् 2026

जी.सी.एम.एस नं.-2026/2

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर / दिनांक
08.01.2026	<p>आज वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हर्षवर्धन सिंह ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 88 188 आर.टी.एक्ट के तहत पेश होने पर पत्रावली पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब करके पत्रावली आईन्दा दिनांक 19.01.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सुरेश राव उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़</p>	
19/1/26	<p>पत्रावली प्रस्तुत करील वादी के रजिस्टर्ड अन्तर्गत पेश किया गया पत्रावली वाद ट्रेडिंग रिवॉरि दिनांक 13/1/26 को पेश हो</p>	
13/2/26	<p>पत्रावली प्रस्तुत करील वादी अन्तर्गत प्रतिवादी स. 2 ता 6 के प्रति स. 2 प्राप्त हुई पत्रावली अन्तर्गत दिनांक 11/3/26 को पेश हो</p>	
3/2/26	<p>पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील जग श्रीमान् P.O. साउथ अन्तर्गत कार्य में व्यस्त है। अन्तः पत्रावली अन्तर्गत दिनांक 29/1/26 को पेश हो</p>	

तारीख हुनम

29/5/26

पञ्जाबी एडवोकेट पुरी - माकेशानुप्रात
की पालना में बहिष्कार विना
20/5/26 का फेर था

29/5/26

पञ्जाबी एडवोकेट पुरी के डेकडे की पालना
के लिये कार्यवाही दिनांक 22/5/26 को फेर था

22/5/26

पञ्जाबी एडवोकेट पुरी ने इफिक्ट
होस्ट लिखित कथन किया कि उद्योग के लोक
इकालत की भावना से रोकनाग हो गया है
एवं उद्योग को छोड़ कर चलाना पाठ्य है
तथा उद्योग नोट बैंक किया है। नोट बैंक के अभाव
में हालत उद्योग की लालत पर खारिज
किया जाता है

प्रकरण में लोक अदालत
की भावना से रोकनाग
होगया है। प्रकरण की
आगे नहीं चलाना चाहते
Note press

(पुलकित गौड़ एस.)

रवि राव
जज
अधिवक्ता